"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 मई 2013—ज्येष्ठ 8, शक 1935

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-30/2013/वाक/पांच (38).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उपाबंध एक में विनिर्दिष्ट उद्योगों से भिन्न नीचे दी गयी अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से सात वर्ष की अवधि के लिये कालम 3 में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों तथा शर्तों के अधीन उपाबंध-तीन में दी गयी प्रक्रिया अनुसार एवं उपाबंध-चार की सामान्य शर्तों के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन देय प्रवेश कर के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान करती है.

अनुसूची

क्र. (1)	व्यवसायी का वर्ग (2)	निर्बंधन तथा शर्तों जिनके अध्यधीन रहते हुये छूट दी गई है (3)
1.	1- ऐसे पंजीकृत व्यवसायी जिन्होंने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में नवीन लघु उद्योग, मध्यम-वृहद उद्योग या मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट औद्योगिक इकाई की स्थापना की हो अथवा राज्य में स्थित विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार किया हो.	1- जब प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो व तीन में विनिर्दिष्ट माल (डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) का विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाये. 2- स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया माल उसके मूल्य संवर्धित कर पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज होना चाहिये.

(1)	(2)	(3)
		3- जब व्यवसायी सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु जारी पात्रता प्रमाण पत्र का धारक हो.
		4- नवीन औद्योगिक इकाईयों को मूल उत्पादन क्षमता तक एवं विद्यमान औद्योगिक इकाईयों में विस्तार करने वाली इकाईयों को विस्तार के पूर्व स्थापित क्षमता के 100 प्रतिशत से अधिक किये गये अतिरिक्त उत्पादन के संबंध में ही छूट प्राप्त होगी.
		5- पंजीकृत व्यवसायी वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छूट की पात्रता अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर दिनांक से छूट की पात्रता अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदान करेगा.
		6- प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम रु. 100 लाख का निवेश किया हो.
		7- उपरोक्तानुसार पूंजी निवेश राज्य शासन के साथ निष्पादित एम.ओ.यू./ ई.एम. पार्ट-1 जारी होने की तिथि से दो वर्षों के भीतर किया हो.
		8- रुपये 100 करोड़ से अधिक निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया हो.
		9- परियोजना की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति एवं उसमें समय समय पर हुए संशोधनों का पालन किया हो.

2- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु परिभाषाएं उपाबंध-दो अनुसार होगी.

उपाबंध-एक

(कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 का परिशिष्ट-एक)

अपात्र उद्योगों की सूची

(1) राईस मिल
(2) पैडी पारबायलिंग एवं क्लिनिंग
(3) पोहा एवं मुरमुरा
(4) हालर मिल
(5) पान मसाला, सुपारी, तम्बाकु, गुटखा बनाना
(6) मिनरल वाटर
(7) सभी प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक्स
(8) एल्कोहल ड्रिंक्स
(9) भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम
(10) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं.

उपाबंध-दो

परिभाषाएं :—

(एक) "वैध दस्तावेज" से आशय है व उसमें सम्मिलित है (वैध लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र)/एम.ओ.यू. से संबंधित दस्तावेज की वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति/ऋण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो.
टीप— इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु प्लांट एवं मशीनरी की परिभाषा क्रमांक-सोलह अनुसार होगी.

(तीन) "विद्यमान औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसमें "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012" के नियत दिनांक के या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो व इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो व रु. 100 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश उद्योग के विस्तार पर करने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया हो, तथा विस्तार के तहत प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम रु. 100 लाख का स्थायी पूंजी निवेश किया गया हो.

(चार) "विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार" से अभिप्रेत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों, वृहद उद्योगों एवं मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अति वृहद उद्योगों/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012" के नियत दिनांक के पश्चात् उत्पादनरत् विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम मान्य रु. 100 लाख का अतिरिक्त पूंजी निवेश करते हुये पंजीकृत मूल क्षमता में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाली औद्योगिक इकाई से है.

(पांच) "लघु उद्योग" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जो भारत सरकार के "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई लघु उद्यम की परिभाषा के अंतर्गत आता हो तथा संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-1 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई. एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो, तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम रु. 100 लाख का पूंजी निवेश किया गया हो.

(छः) "मध्यम उद्योग" से आशय ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है जो भारत सरकार के "सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006" के अंतर्गत हो एवं जिसका पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिभाषाओं के अनुसार लघु उद्यमों हेतु प्लांट एवं मशीनरी मद में निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक किंतु रु. 10 करोड़ तक हो तथा औद्योगिक उपक्रम के पास सक्षम अधिकारी से यथास्थिति ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम. प्राप्त किया हो तथा उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई. एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र भी धारित करता हो.

(सात) "वृहद उद्योग" से आशय ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रु. 10 करोड़ से अधिक किंतु रु. 100 करोड़ तक स्थायी पूंजी निवेशित हो एवं इस प्रयोजन हेतु औद्योगिक उपक्रम सक्षम अधिकारी से यथास्थिति आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लाईसेंस धारित करता हो तथा उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र भी धारित करता हो.

(आठ) "मेगा प्रोजेक्ट" से आशय ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है जिसने रुपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ तक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो.

(नौ) "अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट" से आशय ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है जिसने रुपये 1000 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित करते हुये वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो.

(दस) नियत दिनांक से अभिप्रेत है, दिनांक 01 नवंबर 2012

(ग्यारह) **"स्थायी पूंजी निवेश"** से आशय है किसी नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक भूमि, फैक्ट्री, शेड-भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर किया गया निवेश.

टीप : स्थायी पूंजी निवेश की गणना निम्नानुसार की जाएगी—

11.1 लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में (नवीन एवं विस्तार उद्योगों के प्रकरणों में) उद्योग स्थापना परिसर में ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस जारी करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश ही मान्य किया जायेगा.

11.2 विद्यमान उद्योग के "विस्तारीकरण" हेतु किये गये स्थायी पूंजी निवेश की गणना विद्यमान उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु सक्षम अधिकारी को लिखित पूर्व सूचना एवं इसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्राप्त करने के दिनांक से विस्तारीकरण की योजना के पूर्ण होने एवं तदनुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में उपर्युक्त कार्यकलापों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश ही मान्य होगा.

(बारह) "भूमि मूल्य" से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु क्रय या पट्टे पर ली गई भूमि के मूल्य से है तथा "भूमि मूल्य" में सम्मिलित है-भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य/सक्षम अधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र अथवा औद्यागिक क्षेत्र बाहर भू-आवंटन किये जाने पर निर्धारित भू-प्रब्याजि (यथास्थिति जो लागू हो) तथा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की राशि.

(तेरह) "शेड-भवन" से आशय है और इसमें सम्मिलित है औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन, श्रमिक विश्राम कक्ष, वाहन स्टेंण्ड, सिक्यूरिटी पोस्ट एवं माल गोदाम.

(चौदह) "विद्युत आपूर्ति निवेश" से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था करने हेतु विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञा प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित एवं/या निजी कम्पनियों को भुगतान की गयी राशि से है.

टीप :—

(1) केप्टिव विद्युत संयंत्र को भी विद्युत आपूर्ति निवेश मद में मान्य किया जायेगा.

(2) फैक्ट्री परिसर में किये गये विद्युत स्थापना संबंधी व्ययों को ही मान्य किया जायेगा.

(3) भुगतान की गई राशि में सिक्युरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी.

(पन्द्रह) "जल आपूर्ति निवेश" से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक उपक्रम के परिसर में जल आपूर्ति पर किया गया निवेश बशर्ते कि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयीं हों. इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी.

(सोलह) "प्लांट एवं मशीनरी" से आशय है एवं इसमें सम्मिलित है औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में स्थापित मुख्य प्लांट एवं मशीनरी,

टीप :— इस मद में प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण, परीक्षण उपकरण एवं उनकी स्थापना पर किये गये पूंजी निवेश से संबंधित व्यय सम्मिलित नहीं किये जायेंगे.

(सत्रह) "वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक" से आशय है :—

(क) लघु उद्योगों के मामले में औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्रारंभ किये गये संसूचित परीक्षण-उत्पादन दिनांक से 60 दिन बाद का अगला दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो पहले हो.

(ख) मध्यम उद्योगों के मामले में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का अगला दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो.

(ग) वृहद उद्योगों के मामले में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 150 दिन बाद का अगला दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो.

(घ) मेगा प्रोजेक्ट के मामलों में रुपये 100 करोड़ से अधिक किंतु 500 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाले प्रकरणों में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 180 दिन बाद का अगला दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो.

(ई) रु. 500 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले प्रकरणों में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 270 दिन बाद का अगला दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो.

(अठ्ठारह) **कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग—** कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से आशय है भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण की श्रेणी में आने वाले (उपाबंध-एक में दर्शित उद्योगों को छोड़कर) समस्त उद्योग.

(उन्नीस) "पंजीकृत व्यवसायी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन पंजीकृत व्यवसायी.

उपाबंध-तीन

1- (एक) ऐसा कोई व्यवसायी, जिसने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में कोई नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया है और इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर से भुगतान में छूट प्राप्त करना चाहता है तो इसके अधीन संलग्न प्रारूप (क) में उसे संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक को आवेदन करेगा, आवेदन उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 150 दिन के भीतर किया जायेगा. आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख उपाबंध-पांच अनुसार संलग्न किये जायेंगे.

(दो) जहां ऐसा आवेदन निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् किया गया हो, तथा ऐसे आवेदन पर विचार करने तथा पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में निर्णय करने के लिये सक्षम समिति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन पर्याप्त कारणों से समय पर नहीं किया जा सका था तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे विलंब को माफ कर सकेगी और आवेदन के गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकेगी तथा उसका निपटारा कर सकेगी.

2- आवेदन की एक प्रति उस वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी को भी प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें ऐसा व्यापारी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीकृत है.

3- आवेदन प्राप्त करने वाले जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा आवेदन के प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान की जावेगी.

4- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधक/सहायक प्रबंधक तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी आवेदन में दी गयी प्रविष्टियों की जांच तथा सत्यापन करने के पश्चात् लघु औद्योगिक इकाईयों के प्रकरणों में अपनी रिपोर्ट क्रमश: मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं उप आयुक्त/सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर को एवं मध्यम-वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रो मेगा प्रोजेक्ट्स के मामलों में उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग एवं वाणिज्यिक कर आयुक्त को कार्यालय प्रमुख के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे.

5- इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर से छूट पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्ति के लिये ऐसी औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करने के लिये दो समितियां होंगी—

अ— **जिला स्तरीय समिति**

1-कलेक्टर	अध्यक्ष
2-लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
3-वाणिज्यिक कर अधिकारी	सदस्य
4-उप संचालक, उद्योग संचालनालय	सदस्य
5-मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

ब— **राज्य स्तरीय समिति**

1-आयुक्त वाणिज्यिक कर	अध्यक्ष
2-प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पो. लि.	सदस्य
3-उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग	सदस्य सचिव

6- जिला स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 3 से होगी तथा राज्य स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 2 से होगी व गणपूर्ति जिला स्तरीय समिति के अनुक्रमांक 3 पर उल्लेखित सदस्य की अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं मानी जावेगी.

7- जिला स्तरीय समिति लघु औद्योगिक इकाईयों की पात्रता तथा राज्य स्तरीय समिति मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रॉ मेगा प्रोजेक्ट्स को पात्रता का निर्णय करेगी.

8- आवेदन व रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवेदन में दी गयी प्रविष्टियों का सत्यापन करेगा व अपना प्रतिवेदन यथास्थिति, जिला स्तरीय समिति या राज्य स्तरीय समिति को आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 90 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा.

9- पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृति करने के लिये लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा दिये गये आवेदनों पर जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जायेगा और ऐसे मामलों में उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किया जावेगा. मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रॉ मेगा प्रोजेक्ट्स के पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृति के लिये किये गये आवेदनों पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जावेगा और ऐसे मामलों में उन्हें पात्रत प्रमाण पत्र उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा जारी किया जावेगा.

10. पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व पंजीकृत व्यवसायी को स्वयं के व्यय पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध का निष्पादन एवं पंजीयन संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के साथ करना होगा.

11. (एक) समिति सामान्यत: अपनी बैठकें 3 माह में एक बार करेगी, किंतु लंबित आवेदनों की संख्या की दृष्टि से बैठक बार-बार बुलाई जा सकेगी. समिति प्रत्येक मामलों पर विचार करने के पश्चात् पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत करने या उसके लिये किया गया आवेदन निरस्त करने या अतिरिक्त जानकारी मंगवाने का विनिश्चय कर सकेगी.

(दो) जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 150 दिन के भीतर आवेदन का निराकरण किया जावेगा.

12. **राज्य स्तरीय समिति के अधिकार—**

12.1 राज्य स्तरीय समिति को स्वप्रेरणा से, संदर्भित किये जाने पर अपने स्वयं के विनिश्चय में परिवर्तन करने की शक्तियां प्राप्त होगी.

12.2 राज्य स्तरीय समिति को स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर जिला स्तर पर समिति के विनिश्चय का पुर्नवलोकन करने की शक्तियां एवं तद्नुसार जिला स्तरीय समिति को निर्देश देने की पूर्ण शक्तियां होगी.

12.3 राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन छूट की योजना के संबंध में जारी किये गये निर्देश जिला स्तरीय समिति के लिये बाध्यकारी होंगे.

12.4 राज्य रतरीय समिति को आवेदन देने में हुए विलंब को गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए शिथिल करने के अधिकार होंगे.

12.5 राज्य स्तरीय समिति निर्णय लेने के पूर्व औद्योगिक इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी.

13. राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार के सत्यापन की प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्र. 164/औनिप्र/उसंचा-रा/2005/9766-81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जावेगी.

14. स्थायी पूंजी निवेश करने की निर्धारित समयावधि अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से गणित की जावेगी.

15. **अपील/वाद—**

15.1 लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रुपये 1000 एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रु. 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी. अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा. द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा.

15.2 कोई भी अपील आदेश प्राप्ति के 45 दिवसों के भीतर करनी होगी.

15.3 इस योजना के अंतर्गत कोई वाद होने पर राज्य के अधिकार क्षेत्र में स्थित न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा.

16. इस अधिसूचना के अधीन किसी पंजीकृत व्यवसायी द्वारा कर के भुगतान से टूट की सुविधा या पात्रता या अधिसूचना से संबंधित किसी प्रावधान में, राज्य स्तरीय समिति के विनिश्चय से उद्भूत किसी विषय में कोई विवाद होने की दशा में, पंजीकृत व्यवसायी द्वारा राज्य अपीलीय फोरम को निर्दिष्ट किया जावेगा आवेदक द्वारा यह आवेदन राज्य स्तरीय समिति के आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 120 दिन के भीतर किया जा सकेगा.

1. **राज्य अपीलीय फोरम में निम्नलिखित सदस्य होंगे—**

1-	भारसाधक मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग—	अध्यक्ष
2-	भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग—	सदस्य
3-	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग—	सदस्य
4-	प्रमुख सचिव/सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग—	सदस्य
5-	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग—	सदस्य सचिव

2. राज्य अपीलीय फोरम की गणपूर्ति तीन से होगी एवं गणपूर्ति राज्य अपीलीय फोरम के अनुक्रमांक 2 या 3 पर उल्लेखित सदस्यों में से किसी एक की अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं मानी जायेगी.

3. राज्य अपीलीय फोरम, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक मामले पर विचार के पश्चात्, इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अधिसूचना के उपबंधों के प्रावधानों के अनुरूप ऐसा आदेश 180 दिवसों के भीतर पारित करेगा जैसा कि वह अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार उचित समझे. अपीलीय फोरम को अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए विलंब को शिथिल करने के अधिकार होंगे.

4. राज्य अपीलीय फोरम द्वारा पारित आदेश अंतिम तथा बंधनकारी होगा.

उपाबंध-चार

इस अधिसूचना के अधीन छूट निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अधीन उपलब्ध होगी :—

(एक) (क) व्यवसायी इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अधिकारी से उपाबंध-दो में से विनिर्दिष्ट प्रारूप तथा प्रक्रिया से ऐसा स्थायी पात्रता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे माल को विनिर्दिष्ट किया जावेगा, जिसके संबंध में छूट स्वीकृत है और अपने कर निर्धारण के समय कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा.

(ख) ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि व्यवसायी द्वारा अपनी उस तिमाही की विवरणी के साथ प्रस्तुत की जावेगी.

(दो) यदि व्यवसायी को स्थायी पात्रता प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण या उसके द्वारा दी गई अशुद्ध अथवा मिथ्या जानकारी के आधार पर जारी किया गया है तो प्रमाण पत्र उस दिनांक से विखंडित कर दिया जावेगा, जिस दिनांक को वह जारी किया गया था और तदुपरांत इस अधिसूचना के अधीन दी गई ऐसी छूट वापिस ली जावेगी और वह सम्पूर्ण कर की रकम जिसकी छूट का लाभ निरस्तीकरण के दिनांक तक ले लिया गया है, व्यवसायी से एकमुश्त वसूली योग्य होगी.

(तीन) यदि कोई व्यवसायी इस अधिसूचना के अधीन नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करता है अथवा विद्यमान इकाई का विस्तार करता है किंतु बाद में उसे बंद कर देता है या उसी उत्पाद के उत्पादन में लगी राज्य के भीतर विद्यमान किसी अन्य औद्योगिक इकाई में उसका उत्पादन जानबूझकर सारवान रूप से घटाता है व उत्पादन औसत उत्पादन से 50 प्रतिशत कम हो जाता है, तो पात्रता प्रमाण पत्र ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा तथा ऐसा निरस्तीकरण की तारीख से प्रभावशील होगा जिससे उत्पादन में ऐसी सारभूत कमी हुई है.

(चार) (क) व्यवसायी छूट की कालावधि के दौरान औद्योगिक इकाई को निरंतर प्रारंभ रखेगा और छूट की कालावधि के समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए भी उसे प्रारंभ रखेगा.

(ख) उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना व्यापारी—

(एक) सम्पूर्ण औद्योगिक इकाई या उसके भाग की अवस्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा,

(दो) उसमें कोई सारभूत कमी नहीं करेगा, या

(तीन) औद्योगिक इकाई में कुल स्थायी पूंजी निवेश या उसके किसी भाग में सारभूत कमी नहीं करेगा.

(चार) उस कालावधि के दौरान जिसमें कर छूट का लाभ उठाया जा रहा है तथा छूट की पात्रता की कालावधि की समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि तक चालू रखेगा.

(ग) यदि स्वामित्व में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन व्यवसायी को दिये समस्त अधिकार तथा दायित्व नये स्वामी को अंतरित हो जावेंगे.

(पांच) व्यवसायी छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के अंतर्गत संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के साथ एक करार निष्पादित करेगा, जिसका पंजीयन स्वयं के व्यय पर करेगा.

(छः) व्यवसायी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन अपेक्षित विवरणियां नियमित रूप से सक्षम वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

(सात) व्यवसायी क्रय किये गये माल तथा विक्रय किये गये उत्पादों के, जिनके संबंध में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ लिया जा रहा है, विवरण दर्शाते हुये एक खाता रखेगा.

(आठ) तालिका-1 में प्रवर्ग का व्यवसायी इस अधिसूचना के अधीन कर के भुगतान से छूट के लिए पात्रता की कालावधि के दौरान प्रत्येक वार्षिकी के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को निर्धारित प्रारूप में उत्पादन व विक्रय विवरण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 90 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा.

(नौ) (क) इस अधिसूचना की कंडिका 01 से 08 में के उपबंधों का तथा उसके अधीन शर्तों में से किसी का तथा अधिसूचना भी में किसी निर्बन्धन तथा शर्त का उल्लंघन करने पर इस अधिसूचना के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति देने वाली समिति द्वारा ऐसा स्थायी पात्रता प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा.

(ख) यदि परिस्थिति उत्पन्न हुई तो ऐसे निरस्तीकरण को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकेगा.

यह अधिसूचना दिनांक 01 नवंबर 2012 से प्रभावशील "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012" के नियत दिनांक 01 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले पात्र उद्योगों पर लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

उपाबंध-पांच

आवेदन-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची (यथास्थिति जो लागू हो)

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम.

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ई.एम. पार्ट-2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज.

(3) राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्यम निष्पादित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) की प्रति (यदि लागू हो तो).

(4) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का उपाबंध 5 पर निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (मूल प्रति)

(5) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का उपाबंध 6 पर निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यो के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (सूक्ष्म, लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति)

(6) स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति) उपाबंध 7 के अनुसार

(7) लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल/मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट.

(8) वाणिज्यिक कर विभाग से मूल्य संवर्धन कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र

(9) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लांट प्रारंभ करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा/प्लांट स्थापित करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा.

(10) मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना भवन के अनुमोदन से संबंधित सम्मति

(11) भूमि व्यपवर्तन/अनुमति से संबंधित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

(12) नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं छत्तीसगढ़ विकास नियम 1984 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा (यदि लागू हो)

(13) स्थानीय निकायों यथा-ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति/अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(14) उर्जा विभाग/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना बाबत जारी अनुमति

(15) मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी डी.जी. सेट स्थापित करने की अनुमति का संक्षिप्त विवरण एवं केप्टिव पावर प्लांट होने संबंधी प्रमाण-पत्र.

(16) छ.ग. राज्य विद्युत मंडल/निजी उपक्रम से विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र

(17) चीफ इन्सपेक्टर ऑफ बायलर्स द्वारा इंडियन बायलर अधिनियम के तहत बायलर स्थापित करने बाबत् सम्मति/अनुज्ञा.

(18) भू-स्वामित्व/लीज से संबंधित दस्तावेज.

(19) बैंक ऋण से स्वीकृति एवं वितरण प्रमाण पत्र.

"प्रपत्र-क"

(स्थायी प्रवेश कर छूट पात्रता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन)

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

मैं .... (व्यवसायी का नाम) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2005 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन पंजीयन क्रमांक .... का धारित हो व मैंने .... (इकाई का नाम) नाम से छत्तीसगढ़ के जिले .... में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया है, जिसके संबंध में प्रविष्टियां निम्नानुसार है :—

1- (अ) औद्योगिक इकाई का नाम व पता ....

(ब) फैक्ट्री स्थल — ग्राम .... विकासखण्ड .... जिला ....

2- उद्योग विभाग के साथ पंजीयन—

(अ) ई. एम. पार्ट-1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस ....

(ब) ई. एम. पार्ट-2 ....

(स) वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र ....

3- (क) नवीन औद्योगिक इकाई —

उत्पाद ....इकाई की वार्षिक स्थापित क्षमता ....

या

(ख) विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार—

1. उत्पाद ....
2. विस्तार के पूर्व वार्षिक उत्पादन क्षमता ....
3. विस्तार के पश्चात् वार्षिक उत्पादन क्षमता ....
4. विस्तारित वार्षिक उत्पादन क्षमता ....

4- नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान उद्योग के विस्तार में स्थायी पूंजी निवेश ....

क्र. (1)		राशि (2)
(1)	**भूमि- (भूमि का रकबा ....)** अ- वास्तविक क्रय मूल्य/प्रीमियम/ ब- मुद्रांक शुल्क स- पंजीयन शुल्क	
	योग—	
(2)	**शेड-भवन—** 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन	

<table>
<tr><th>(1)</th><th></th><th>(2)</th></tr>
<tr><td></td><td>5 प्रशासकीय भवन,
6 केन्टीन
7 श्रमिक विश्राम कक्ष
8 वाहन स्टैन्ड
9 सिक्यूरिटी पोस्ट
10 माल गोदाम

योग—</td><td></td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>प्लांट एवं मशीनरी — न्यूनतम 100 लाख
1 प्लांट एवं मशीनरी
टीप— इस मद में प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण, परीक्षण उपकरण एवं उनकी स्थापना पर किये गये पूंजी निवेश सम्मिलित नहीं किये जावेंगे.</td><td></td></tr>
<tr><td>(4)</td><td>विद्युत आपूर्ति निवेश—
अ- छ.ग. राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कंपनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)
ब- केप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पर किया गया निवेश

योग—</td><td></td></tr>
<tr><td>(5)</td><td>जल आपूर्ति निवेश—
औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)

योग</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>महायोग—</td><td></td></tr>
</table>

5- नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार क्षमता में विनिर्मित उत्पादों की प्रविष्टियां ....

6- विनिर्माण में उपभोग अथवा उपयोग के लिये माल की प्रविष्टियां—

क्र.	माल का विवरण	वार्षिक मात्रा
1.		
2.		
3.		

7- नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार क्षमता में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक ....

8- कुल रोजगार—

श्रम वर्ग 1	रोजगार क्षमता 2	प्रदत्त रोजगार 3	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार 4	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत 5
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स				
कुशल वर्ग अ .... ब .... स				
प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स				

9- प्रवेश कर से छूट हेतु वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक ....

आवेदक निवेदन करता है कि उक्त अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट के लिए स्थायी पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाए.

स्थान ....
दिनांक ....

....
हस्ताक्षर/पदमुद्रा सहित

शपत्र पत्र

मैं .... स्वामी/साझेदार/संचालक/प्राधिकृत अधिकारी, औद्योगिक इकाई .... की ओर शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुसूची के कालम-5 एवं उपाबंध-चार में विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों का पालन किया जायेगा. मेरे द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा छूट पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है तो संपूर्ण कर की रकम जिसकी छूट का लाभ निरस्तीकरण के दिनांक तक ले लिया गया है, उसका एकमुश्त भुगतान ब्याज सहित किया जायेगा.

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर/मुहर सहित
नाम ....
पद ....
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
....

"प्रपत्र-ख"

प्रवेश कर छूट स्थायी पात्रता प्रमाण पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन जारी)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स (नाम व पता) .... छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन वाणिज्यिक कर अधिकारी .... वृत द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक .... दिनांक .... का धारक है व व्यवसायी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में अपनी नवीन औद्योगिकी इकाई/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तारित क्षमता के संदर्भ में प्रवेश कर से छूट प्राप्त करने का हकदार है.

2- व्यापारी ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया है और वह माल के विनिर्माण में नीचे दर्शाये अनुसार माल के उपभोग अथवा उपयोग के संदर्भ में उक्त सुविधा प्राप्त करने की पात्रता रखता है और उक्त माल उसके छत्तीसगढ़ वेट कर अधिनियम 2005 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट है—

1- ....
2- ....
3- ....
4- ....

3- व्यवसायी ने नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार क्षमता में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक .... को प्रारंभ किया है.

4- नवीन औद्योगिक इकाई का उत्पाद एवं वार्षिक उत्पादन क्षमता—

या

विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर विस्तारित वार्षिक उत्पादन क्षमता—

1. विस्तार के पूर्व उत्पादन क्षमता ....
2. विस्तार के पश्चात् उत्पादन क्षमता ....
3. विस्तारित उत्पादन क्षमता ....

5- यह प्रमाण पत्र दिनांक .... से दिनांक .... तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) की अवधि के लिये प्रभावशील है.

स्थान ....
दिनांक ....

उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग,
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़
मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.